



2026:AHC-LKO:41823

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 सीआर.पी.सी.

संख्या - 433 वर्ष 2026

शिव प्रताप सिंह @ राजू

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	वीरेंद्र प्रताप सिंह, शिवम सिंह
विपक्षी पक्ष(गण) के लिए अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. आवेदक के आपराधिक इतिहास का विवरण देते हुए एक अतिरिक्त शपथ-पत्र दाखिल किया गया है। इसे पत्रावली पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी. को सुना।
3. आवेदक ने बीएनएसएस की धारा 482 के तहत यह अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, मुकदमा अपराध संख्या 262 वर्ष 2022, यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2/3, थाना महाराजगंज, जिला रायबरेली, में विचारण के दौरान अग्रिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल करके आरोपी आवेदक को सिर्फ एक मामले के आधार पर झूठा फँसाया है, जिसमें वह जमानत पर है। उसके खिलाफ पांच मामलों के आपराधिक इतिहास का उल्लेख किया गया है, जिनमें वह जमानत पर रिहा है। आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। जांच के दौरान आरोपी आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया था। आरोपी आवेदक विचारण न्यायालय के सामने पेश होना चाहता है, लेकिन उसे गिरफ्तारी का डर है। इसलिए, वह अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।
6. अग्रिम जमानत का विस्तार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन महत्वपूर्ण निर्णयों में स्पष्ट किया गया है: **गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565** में रिपोर्ट, **सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694** में रिपोर्ट, और **सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) व एक अन्य (2020) 5 एससीसी 1** में रिपोर्ट, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर यह माना गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करते समय, न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर विचार करना चाहिए ताकि गिरफ्तारी के खतरे या आशंका का मूल्यांकन आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के आपराधिक इतिहास, झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर फंसाए जाने, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, जांच और मुकदमे में सहयोग करने की आरोपी की तत्परता, तथा आरोपी के आचरण और भागने के जोखिम के आधार पर किया जा सके।
7. यह देखते हुए कि जांच के दौरान आरोपी आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया है, आरोपों की गंभीरता, **आपराधिक इतिहास** और गिरफ्तारी की आशंका के साथ-साथ आरोपी के भागने का जोखिम कम होने और जांच व मुकदमे में सहयोग करने के उसके आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, उसे अग्रिम जमानत देने का निर्णय लिया गया है।
8. उपर्युक्त मामले में शामिल **आवेदक- शिव प्रताप सिंह @ राजू** इस आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर, यथास्थिति, विचारण न्यायालय या जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे और निम्नलिखित शर्तों के साथ 25,000/- रुपये का निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किए जाएंगे निम्नलिखित शर्तों के साथ:-
- (i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
 - (iii) आवेदक को (i) सुनवाई शुरू होने, (ii) आरोप तय होने, और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज होने की निर्धारित तारीखों पर न्यायालय में स्वयं उपस्थित रहना होगा।
 - (iv) आवेदक को यह हलफनामा देना होगा कि विचारण न्यायालय में गवाहों के उपस्थित होने पर, वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक को नियत की गई प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

9. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो यह ज़मानत रद्द करने का आधार बनेगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत अर्ज़ी पर फैसला करने के मक़सद तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

(अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

कृष्ण*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।